मध्योत्तरी

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र

14, सी.एस.पी. सिंह मार्ग, प्रयागराज
फोन नं0— 2421855
e-mail: nczcc@rediffmail.com, website: www.nczcc.in

निविदा सूचना

उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र द्वारा **मानव श्रम शक्ति** की आपूर्ति एवं सुरक्षा गार्ड हेतु अनुभवी पंजीकृत फर्मों से मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं। निविदा प्रपत्र केन्द्र कार्यालय के **लेखा अनुभाग** से **रू0 500/—** नगद अथवा ड्राफ्ट जो (**निदेशक उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज** के पक्ष में देय हो) प्रति निविदा प्रपत्र जमा करने पर **दिनांक 05.01.2022 से 12.01.2022 तक** दिन में **3:00 बजे** तक प्राप्त किये जा सकते हैं अथवा निविदा प्रपत्र **सांस्कृतिक केन्द्र** की वेबसाइट **www.nczcc.in** से भी डाउनलोड किये जा सकते हैं। डाउनलोड किये हुए निविदा प्रपत्रों के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क जमा करना आवश्यक होगा। शुल्क **निदेशक उ.म.क्षे.सां.केन्द्र** के नाम ड्राफ्ट के रूप में **निविदा प्रपत्रों के साथ ही संलग्न करना होगा।** निविदा **17.01.2022** को केन्द्र में **अपराह्न 2:00 बजे तक** जमा की जायेगी। प्राप्त सभी निविदाओं को **18.01.2022** को **सायं 3:00 बजे तक** केन्द्र की समिति एवं उपस्थित निविदादाताओं/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जायेगी।

निदेशक

Size - 8 x 8 = 64 sq.cm.

मानव शक्ति की आउटसोर्सिंग के लिए निविदा

1. मानव शक्ति (सुरक्षा गार्ड) की आपूर्ति हेतु केन्द्र द्वारा दरें आमंत्रित की जाती हैं। जिसमें साधारण सुरक्षा गार्ड तथा वैध लाइसेन्स धारक हथियारबंद सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति शामिल है।
2. फर्म के पास सुरक्षा मानकों के अनुरूप वैध लाइसेन्स के साथ ही उ0प्र0 पुलिस विभाग के द्वारा निर्गत लाईसेन्स (पसारा) होना अनिवार्य है। इस लाइसेन्स के बगैर यदि किसी फर्म के द्वारा निविदा में भाग लिया जाता है तो वह पूर्णतः अस्वीकार कर दिया जायेगा।
3. निविदादाता फर्म का ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. पंजीकरण तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा इस प्रकार के कार्य करने का लाईसेंस होना अनिवार्य है।
4. निविदादाता फर्म के द्वारा केन्द्र को आपूर्ति की गयी सुरक्षा गार्ड के विरूद्ध वेतन केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य न्यूनतम वेतन की दरों के अनुसार करना होगा।
5. निविदादाता फर्म के द्वारा केन्द्र को आपूर्ति की गयी सुरक्षा गार्ड के विरूद्ध वेतन का भुगतान प्रत्येक माह की 07 तारीख के पूर्व प्रत्येक दशा में करना होगा तथा लाभार्थी के ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. का भुगतान प्रत्येक माह की 15 तारीख के पूर्व प्रत्येक दशा में करना होगा।
6. निविदादाता फर्म के द्वारा उपरोक्त सभी भुगतान करने के पश्चात ही केन्द्र को प्रत्येक माह के 15 से 20 तारीख के मध्य समस्त भुगतान के साक्ष्य के साथ ही बिल प्रस्तुत करना होगा, जिसके उपरान्त प्रत्येक माह की 20 से 30 तारीख के मध्य केन्द्र द्वारा फर्म को भुगतान किया जायेगा।
7. किसी भी दशा में फर्म के द्वारा केन्द्र को लाभार्थी को बगैर भुगतान किये न ही बिल प्रस्तुत किया जायेगा और न ही इस प्रकार का आग्रह किया जायेगा कि केन्द्र द्वारा भुगतान होने के उपरान्त लाभार्थी को वेतन और उसके अन्य खातों में भुगतान किया जायेगा।
8. निविदादाता फर्म को केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य नियमों की प्रति निविदा के साथ संलग्न करनी होगी, जिसमें श्रेणी के अनुसार न्यूनतम वेतन की दरें अंकित हों।
9. निविदादाता फर्म को केन्द्र को आपूर्तित सुरक्षा गार्डो के कार्य के विरूद्ध देय धनराशि पर केन्द्र सरकार द्वारा नियत बोनस की धनराशि केन्द्र के पास जमा रहेगी, जिसको केन्द्र के अन्य सुरक्षा गार्डो को बोनस भुगतान के समय लाभार्थियों को भुगतान फर्म द्वारा किये जाने के उपरान्त फर्म को प्रतिपूर्ति भुगतान किया जायेगा। इस धनराशि पर किसी प्रकार की जी.एस.टी. देय नहीं होगी।
10. निविदादाता फर्म के द्वारा उपरोक्त सुरक्षा गार्ड के आपूर्ति एवं भुगतान के विरूद्ध सेवा शुल्क का उल्लेख स्पष्ट रूप से करना होगा।
11. केन्द्र द्वारा श्रोत पर 2 प्रतिशत आयकर कटौती की जायेगी।

निविदादाता के हस्ताक्षर..

12. निविदादाता फर्म के द्वारा प्रस्तुत की गई फर्म पर किसी प्रकार का बैंक लोन अथवा स्थानीय न्यायालय में किसी प्रकार का वाद नहीं होना चाहिए।
13. निविदादाता फर्म को केन्द्र को प्रतिमाह के आधार पर प्राप्त की जाने वाली सुरक्षा गार्ड के अतिरिक्त (जब और जहाँ के आधार पर) आवश्यकतानुसार सुरक्षा गार्ड की आपूर्ति करनी होगी। अतिरिक्त आपूर्ति के विरूद्ध केवल न्यूनतम दैनिक वेतन, उस पर सेवा शुल्क तथा जी.एस.टी. का भुगतान केन्द्र द्वारा किया जायेगा। इस आपूर्ति में ई.पी.एफ., ई.एस.आई. तथा बोनस देय नहीं होगा।
14. निविदादाता फर्म को समस्त आपूर्तित सुरक्षा गार्डो का भुगतान उनके बैंक खाते में करना होगा। अतिरिक्त आपूर्तित सुरक्षा गार्ड को नियमानुसार (रूपये 5000.00 की सीमा तक) आवश्यकता होने पर नगद भुगतान किया जा सकता है।
15. निविदादाता फर्म के द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न सभी पृष्ठों पर हस्ताक्षर किया जाना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता फर्म द्वारा निविदा में प्रस्तुत की दरें 11 माह के लिए प्रभावी होंगी, परन्तु श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा यदि दरें पुनरीक्षित की जाती हैं, तो उन्हीं परिस्थितियों में न्यूनतम दरों में परिवर्तन केन्द्र द्वारा शासनादेश संलग्न किये जाने की स्थिति में स्वीकार किये जायेंगे।
17. निविदादाता फर्म द्वारा समस्त करों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना होगा। निविदा स्वीकृति होने के उपरान्त पृथक से कोई भी कर देय नहीं होगा।
18. निविदादाता द्वारा उपरोक्त के अलावा कोई अन्य शर्त केन्द्र द्वारा स्वीकार नहीं की जायेगी।
19. निविदादाता फर्म द्वारा सुरक्षा गार्ड आपूर्ति में यह विशेष ध्यान रखना होगा कि जिन व्यक्तियों को केन्द्र में आवश्यकतानुसार कार्य पर लगाया जाय उनके विषय में फर्म पूर्ण रूप से संतुष्ट हो तथा उनकी शैक्षिक योग्यता/चरित्र का सत्यापन फर्म के द्वारा कर लिया गया हो तथा प्रत्येक सुरक्षा गार्ड प्रशिक्षित किये गये हो।
20. निविदादाता फर्म द्वारा आपूर्तित सुरक्षा गार्डो का आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक खाता संख्या व शैक्षिक योग्यता संबंधी प्रपत्र पूर्णतः सत्यापित कर केन्द्र को उपलब्ध कराना होगा।
21. किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज का निर्णय मान्य होगा, अन्यथा की स्थिति में स्थानीय श्रम न्यायालय में वाद का निस्तारण किया जायेगा।
22. किसी भी परिस्थिति में आपूर्तित सुरक्षा गार्ड के द्वारा केन्द्र में सेवाओं के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का दावा स्वीकार्य नहीं होगा।
23. निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज को यह अधिकार होगा कि एक ही प्रकार के कार्यों के लिए अलग–2 उम्मीदवारों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से कर सके। कार्य की क्षमता के आधार पर फर्म के द्वारा सुरक्षा गार्ड को

निविदादाता के हस्ताक्षर..

बदलने का दायित्व होगा, इसमें किसी भी प्रकार का तर्क फर्म द्वारा स्वीकार नहीं होगा।

24. सुरक्षा गार्डो की आयु सीमा एवं पात्रता के चयन का अधिकार निदेशक, उत्तर मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केन्द्र, प्रयागराज के पक्ष में निहित होगा।
25. सुरक्षा गार्डो का कोई भी दावा सीधे केन्द्र के पक्ष में स्वीकार्य नहीं होगा।
26. केन्द्र सरकार के द्वारा निर्धारित दैनिक कार्य अवधि प्रथम पाली प्रातः 6:00 से 2.00 व द्वितीय पाली में 2.00 से रात्रि 10.00 तथा तृतीय पाली रात्रि 10.00 से प्रातः 6:00 बजे तक होगी तथा आवश्यकता पड़ने पर कार्य अवधि के उपरान्त भी कार्य कराया जा सकता है, जिसके विरूद्ध नियत घंटों के अनुसार दिनों की गणना के आधार पर भुगतान किया जायेगा।
27. केन्द्र में सप्ताह में पाँच दिनों का कार्य दिवस है, परन्तु फर्म द्वारा आपूर्तित गुरक्षा गार्डो के लिए सप्ताह में छः दिन कार्य दिवस माना जायेगा तथा 26 दिनों के कार्य के विरूद्ध 30 दिनों के वेतन की गणना की जायेगी।
28. केन्द्र सरकार द्वारा अनुमन्य राजपत्रित अवकाश की गणना अवकाश में नहीं की जायेगी, उनकी गणना कार्यदिवस में की जायेगी, जिसका भुगतान केन्द्र द्वारा किया जायेगा।
29. निविदा दाता द्वारा निविदा भरते समय निविदा प्रपत्र के साथ रू0 10,000/— ई0एम0डी0 की धनराशि नगद या ड्राफ्ट जो निदेशक उ0म0क्षे0सां0केन्द्र प्रयागराज के पक्ष में देय हो, जमा करना होगा। अन्यथा की स्थिति पर निविदा पर विचार नही किया जायेगा।
30. नियमों एवं शर्तों के साथ प्रत्येक निविदा प्रपत्र के साथ एक तालिका संलग्न की गई है, जिसमें फर्म को वांछित सेवा शुल्क की दरें स्पष्ट रूप से अंकित करनी होंगी। तालिका की चौथी लाइन में उदाहरण हेतु मानक (रूपये 100 प्रतिदिन के आधार पर) वेतनमान एवं उस पर सभी प्रकार देयकों की गणना कर स्पष्ट रूप दर्शाया गया है। किसी भी प्रकार के संदेह की स्थिति में कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस में सम्पर्क कर संदेह का समाधान कर सकते हैं।
31. यदि श्रम मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का बदलाव आता है तो उसको तद्नुसार तालिका में उसी रूप में समाहित किया जायेगा और इस सन्दर्भ में किसी प्रकार के तर्क स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
32. सभी शर्तो और ई0एम0डी0 फार्म शुल्क के साथ ही सेवा शुल्क में न्यूनतम् दरों के आधार पर फर्म को कार्य का आवंटन किया जायेगा। फर्म के पक्ष में आवंटन का कार्य तभी पूर्ण माना जायेगा, जब फर्म के द्वारा कुल धनराशि रू0 25,000.00 (रू0 पच्चीस हजार मात्र) के पास जमानत के रूप में जमा रहेगी।
33. आवंटित फर्म के द्वारा रू0 10,000.00 की धनराशि नगद या ड्राफ्ट के रूप में जमा होने पर आवंटन के पश्चात् रू0 15,000.00 नगद या ड्राफ्ट केन्द्र के पास आवंटित

निविदादाता के हस्ताक्षर..

फर्म के द्वारा जमा की जायेगी। जमानत की धनराशि जमा करने के उपरान्त ही केन्द्र और फर्म के मध्य एक अनुबन्ध पत्र तैयार कराया जायेगा, जिसे उपरोक्त सभी नियम और शर्तो को 100.00 रू0 के स्टैम्प पेपर पर शपथ–पत्र तैयार करके केन्द्र के पास 11 महीनों की अवधि के लिए केन्द्र में जमा करना होगा।

34. उपरोक्त नियम व शर्तो में उल्लिखित सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के उपरान्त ही फर्म केन्द्र के लिए सुरक्षा गार्ड के आपूर्ति के लिए अधिकृत होगा।

<u>घोषणा</u>

मैं/हम...पुत्र श्री..फर्म................................. पता...................................... यह घोषणा करते हैं कि उपरोक्त सभी नियम एवं शर्त पढ़ और समझ ली है। मैं/हम...पालन करने का वचन देता हूँ/देते हैं।

दिनांकः–

निविदादाता के हस्ताक्षर
फर्म का नाम व पता
मो0नं0–
जी.एस.टी. नं0–
पैन कार्ड नं0–
आधार नं0–

निविदादाता के हस्ताक्षर..

CATEGORY	PER DAY WAGES (in INR)	NO. OF WORKING DAYS	AMOUNT	ESI (4.75%) (PAY TO AGENCY BY NCZCC)	EPF (13%) (PAY TO AGENCY BY NCZCC)	EMPLOYEE PER MONTH GAIN	TOTAL EPF OF EMPLOYEE	Service charge Claimed by Agency to the Centre	Total Amount Gain Employee and Agency	TDS Deducted by Centre	GST@ 18%	TOTAL AMOUNT PAID TO AGENCY
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			(1 x 2)			(3 - 13%)	(5 x 2)	10%	(3 + 8)	2% of col. 9	18% of col. 9	(4+5+9+11)
Example	100	30	3000	142.5	390	2610	780	300	3300	66	594	4426.5
Simple Gards												
Armed Gard (with Armed)												

नोटः कॉलम सं.–1 में केन्द्र सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन प्रतिदिन की दर से निविदादाता को भरना होगा।

कॉलम सं.–2 में सुरक्षा गार्डो के वास्तविक कार्यदिवसों की संख्या है, इसमें छः कार्यदिवसों के बाद एक दिन का अवकाश अनुमन्य है।

कॉलम सं.–3 में 1 एवं 2 के गुणक की धनराशि की गणना की जाएगी।

कॉलम सं.–4 में सुरक्षा गार्डो द्वारा अर्जित वेतन का 4.77 प्रतिशत ई.एस.आई. की धनराशि केन्द्र द्वारा आवंटित फर्म को प्रदान की जायेगी, जिसे फर्म के द्वारा सुरक्षा गार्ड के ई.एस.आई. खाते में प्रतिमाह के स्तर पर जमा किया जायेगा।

कॉलम सं.–5 में सुरक्षा गार्डो द्वारा अर्जित वेतन का 13 प्रतिशत ई.पी.एफ. की धनराशि केन्द्र द्वारा आवंटित फर्म को प्रदान की जायेगी, जिसे फर्म के द्वारा सुरक्षा गार्ड के ई.पी.एफ. खाते में प्रतिमाह के स्तर पर जमा किया जायेगा।

कॉलम सं.–6 में सुरक्षा गार्डो द्वारा अर्जित वेतन में से का 13 प्रतिशत ई.पी.एफ. की कटौती के पश्चात सुरक्षा गार्ड को वेतन के रूप में प्रतिमाह के स्तर पर एजेन्सी द्वारा प्रदान किया जायेगा।

कॉलम सं.–7 में सुरक्षा गार्डो द्वारा अर्जित वेतन में से का 13 प्रतिशत ई.पी.एफ. की कटौती + केन्द्र द्वारा प्रदत्त 13 प्रतिशत ई.पी.एफ. धनराशि। यह धनराशि प्रतिमाह के स्तर पर एजेन्सी द्वारा सुरक्षा गार्डो के ई.पी.एफ. खाते में जमा किया जायेगा।

कॉलम सं.–8 में फर्म द्वारा केन्द्र को सेवाएं प्रदान करने के विरूद्ध क्रम सं. 3 पर उल्लिखित राशि के (..............???? प्रतिशत) सेवा कर केन्द्र द्वारा प्रदान किया जायेगा।

कॉलम सं.–9 में अंकित धनराशि सुरक्षा गार्डो द्वारा अर्जित वेतन और फर्म का सेवा शुल्क जोड़कर दर्शायी गयी है।

कॉलम सं.–10 में अंकित धनराशि यह दर्शाती है कि केन्द्र द्वारा भारत सरकार के नियमों के अधीन फर्म को भुगतान की जाने वाली राशि पर 2 प्रतिशत आयकर की कटौती की जायेगी।

कॉलम सं.–11 में कॉलम सं. 9 पर अंकित धनराशि पर 18 प्रतिशत जी.एस.टी. का भुगतान केन्द्र द्वारा फर्म को किया जायेगा।

कॉलम सं.–12 में कॉलम सं. 4, 5, 9, 11 की धनराशि का योग फर्म के द्वारा बिल प्रस्तुत करने पर केन्द्र द्वारा किया जायेगा।

• उपरोक्त सभी 1 से 12 तक के कॉलम फर्म को पारदर्शिता बनाये रखने हेतु स्पष्ट रूप से उदाहरण सहित तैयार किया गया है। इस सन्दर्भ में यह सलाह दी जाती है कि न्यूनतम वेतन, जो श्रम मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित है के अनुसार ही दरें अंकित की जाएं साथ ही निविदा आमंत्रित किये जाने का मूल उद्देश्य यह है कि उपरोक्त कॉल सं. 8 में फर्म द्वारा वांछित सेवा कर के प्रतिशत का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाय।

निविदादाता के हस्ताक्षर..